

पत्रांक 10/न 4-83/2012
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रपक,

लक्ष्मण कुमार सिंह,
विशेष निदेशक, ना0 शिक्षा।

सेवा में

अध्यक्ष,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंद्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय

ओरियन्टल पब्लिक स्कूल, तेगहरिया, किशनगंज को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि ओरियन्टल पब्लिक स्कूल, तेगहरिया, किशनगंज को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जात्र प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन के साथ सलग्न उक्त विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखां/कागजातों की समीक्षा विभाग की स्थायी समिति द्वारा की गयी एवं विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई -

1. यह विद्यालय ओरियन्टल सोसियो एजुकेशनल ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फंदाईजी अथवा किसी विद्यालय के प्राइवेट केर उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 02.17 एकड़ भूखण्ड 51 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्थल निरोक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति सगाकर पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 28 शिक्षक हैं। सो 10 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों वार्षिक लेख: अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इस सो 10 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

Amitasaha

Manager

ORIENTAL PUBLIC SCHOOL
TEGHARIA, KISHANGANJ

Attested

Principal
ORIENTAL PUBLIC SCHOOL
TEGHARIA, KISHANGANJ

Aff. No.-330480
School No.-65455

P.T.C

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पढाई में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे दयूरान शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचिता जाति, अनु० जनजाति, पिछडा वर्ग, अत्यंत पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/कें० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/सक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक है तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/कें० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपरोक्त तथ्यों/घणित शर्तों सहित समिति के निर्णयानुसार ओरियन्टल पब्लिक स्कूल, तेगहरिया, किशनगंज को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ दी जाती है कि विद्यालय 15 दिनों के अन्दर विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करायेगी।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह०/-

(लक्ष्मण कुमार सिंह)

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापक

दिनांक

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को उनके पत्रांक 254 दिनांक 20.07.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापक 1000

दिनांक 31/7/12

प्रतिलिपि : प्राचार्य, ओरियन्टल पब्लिक स्कूल, तेगहरिया, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Anitasaha Attested